फार्म 15G और 15H

समय जमा पर भुगतान/क्रेडिट ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत बल में लागू दरों पर स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती के अधीन हैं। हालांकि, इस तरह के टीडीएस निम्नलिखित मामलों में, अन्य लोगों के अलावा, लागू नहीं होगा:

1. 1. भारत में एक व्यक्ति के **निवासी** के लिए एक शाखा द्वारा भुगतान/क्रेडिट हो जाने की संभावना कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 रुपये (पूर्व जून 2007 तक, रुपये 5000) (1 अप्रैल से 31 से 31 मार्च तक चलता है) से अधिक नहीं है।
2. **किसी भी व्यक्ति (कंपनी या फर्म को छोड़कर)** [धारा 197A (I A) **नियम** 29C के साथ पढ़ा) के मामले में;
   क. जो भारत में **निवासी** है; *और*
   ख. जिसकी **सालाना कुल आय टीएसी देयता** प्रासंगिक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है)के लिए अंनुमानित कुल आय पर **कुछ नहीं** है (कृपया ध्यान दें कि कुल आयकर देयता किसी भी टीडीएस की अनदेखी गणना की जानी है); *और*
   ग. कुल मब्याजफ प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान अवधि के जमा(ओं) पर विश्वसनीय/देय ऐसे व्यक्ति के मामले में आय कर पर प्रभार्य नहीं जो अधिकतम राशि के दायरे से **अधिक नहीं है**; *और*
   घ. जैसे, जो शाखा को अच्छी तरह से **प्रत्येक** वित्तीय वर्ष के लिए **पहले से** निर्धारित फ़ॉर्म संख्या **15G (प्रतिलिपि में)** एक विधिवत पूरा घोषणापत्र प्रस्तुत करे। कृपया ध्यान दें कि पर्चा 15G प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाना है। कृपया यह भी ध्यान दें कि 15G से प्रस्तुत करने में कोई देरी/डिफ़ॉल्ट वजह से टीडीएस के लिए उत्तरदायी इस तरह प्रस्तुत करने की तारीख पर या पहले भुगतान/क्रेडिट ब्याज लगा देगा। किसी भी टीडीएस वापसी के दावे इसलिए आयकर विभाग के साथ सीधे संबंधित होगा और बैंक के साथ नहीं होगा।
3. **एक व्यक्ति** [नियम 29C के साथ पठित धारा 197A(IC] के मामले में;
   क. जो भारत में **निवासी** है; *और*
   ख. जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है) के दौरान **किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक उम्र के हैं**; *और*
   ग. जिसका **सालाना कुल आय कर देयता** प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए उसका/उसकी अनुमानित अनुमानित आय पर **नहीं** के बराबर है (कृपया ध्यान दें कि कुल आयकर देयता किसी भी टीडीएस की अनदेखी गणना की जानी है); *और*
   घ. जैसे, जो शाखा को अच्छी तरह से **प्रत्येक** वित्तीय वर्ष के लिए **पहले से** निर्धारित फ़ॉर्म संख्या **15H (प्रतिलिपि में)** एक विधिवत पूरा घोषणा पत्र पेश करता है। कृपया यह भी ध्यान दें कि 15H से प्रस्तुत करने की तारीख पर या पहले भुगतान/क्रेडिट ब्याज लगा देगा। किसी भी टीडीएस वापसी के दावे इसलिए आयकर विभाग के साथ सीधे संबंधित होगा और बैंक के साथ नहीं होगा।

HSBC

Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC). Incorporated in Hong Kong SAR with limited liability.